(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3280–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–7–2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 2/2011–12/स्वमेव निगरानी

.....

1–चतुरो बाई बेवा अर्जुना कुम्हार
2–मोहन पुत्र स्व0अर्जुना कुम्हार
निवासीगण भितरवार तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री पी0एस0जादौन, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 182/78–79/अ–19 में दिनांक 26–6–79 को पारित आदेश से ग्राम भितरवार स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1828 रकबा 0.031 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 1829 रकबा 0.084 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 1830 रकबा 0.042 हेक्टेयर का व्यवस्थापन आवेदिका कमांक 1 के पति एवं आवेदक कमांक 2 के पिता अर्जुना कुम्हार के पक्ष में

व्यवस्थापन किया गया । तहसीलदार के उक्त प्रकरण में अवैधानिकता पाते हुये कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 12–7–2012 को आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय का व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया जाकर एवं अनुविभागीय अधिकारी को तदानुसार शासकीय अभिलेख दुरूस्त कर अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा लगभग 32 वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही की गई है । प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक क्रमांक 1 के पति व आवेदक क्रमांक 2 के पिता के पक्ष में किया गया था और उनके जीवनकाल में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, तत्पश्चात् आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज हुआ और तब से वह निरन्तर कृषि कार्य करता चला आ रहा है एवं उनके पास जीवन यापन का कोई अन्य संशाधन भी नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विकसित कर सिंचाई हेतु कुआं तैयार किया गया है जिसमें उसके हजारों रुपये व्यय हुये है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित करने में गंभीर अनियमितताएं की गई थी, अतः कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा वर्ष 1979 में दिये गये पटटे को 33 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है जबकि 2013 राजस्व निर्णय, पेज 08 में आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा से निगरानी की शक्तियों का प्रयोग 180 दिवस के पश्चात् नहीं किया जा सकता है, अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा की गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही एवं पारित आदेश अवधि बाह्य होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा इस आधार पर पटटा निरस्त किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा देने से आम रास्ता बन्द हो गया है, जो कि उचित कारण नहीं है । इसक अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में अन्य जितने भी कारण दर्शाये गये हैं, उनके संबंध में अभिलेख पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है । स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है जिसे निरस्त किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–7–2012 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर